

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 59/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/188

अनवान

1. उदा पुत्र अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कस्तुरी पत्नि अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोड़ा पुत्र अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण


बनाम

1. घीसुलाल पुत्र बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदनलाल पुत्र अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोसार पत्नि बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भंवरीदेवी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मोहनलाल पुत्र नेनुराम कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भैरु पुत्र हुक्मा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मुकेश कुमार पुत्र भंवरलाल शर्मा निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गिरधारी पुत्र लखा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामपाल पुत्र मोहन कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लालु पुत्र बख्तावर कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. चेना पुत्र तुलछा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जोधा पुत्र तुलछा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. जोरा पुत्र प्रताप कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. डालु पुत्र लखा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. दोला पुत्र लखा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. भुरा पुत्र भारमल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)



सहायक कलेक्टर
(रायपुर, भीलवाड़ा)

उपस्थित

1. राजुलाल नायक – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व 14, 15 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:—07.04.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 292/1628 रकबा 0.22 है 0 भूमि राजस्व खाता संख्या 48 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 05.05.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 व 14, 15 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 10 लगायत 13 व 16 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते हैं तथा विपक्षी संख्या 17 तहसीलदार रायपुर फोरमल पक्षकार है।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 292/1628 रकबा 0.22 है 0 भूमि राजस्व खाता संख्या 48 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान




सहायक कलेक्टर
रायपुर

आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 292/1628 रकबा 0.22 है 0 भूमि राजस्व खाता संख्या 48 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं।

5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

- 1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उत्पन्न की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बन्धित निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।




राज्यक कलक्टर
(राजस्थान)

—: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 292/1628 रकबा 0.22 है० भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।



आदेश दिनांक 07.04.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Khadohi
7/4/2025
(करुणा लाडोनी)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ. रायपुर)
रायपुर जिला मालवाड़ा

Khadohi
7/4/2025
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर जिला मालवाड़ा
(एस.डी.ओ. रायपुर)